अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

14
12.07.2023

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

एस० ए० आर० अपील वाद सं० 86 आर० 15/2022–23

लाली कच्छप पिता स्व० अजय कच्छप
निवासी न्यु तारा बाबू लेन, थड़पखना, थाना लोअर बाजार, जिला रॉंची
..... अपीलकर्त्ता

बनाम

(1) मदन साव, पिता स्व० खेदु साव
(2) बिनोद साव, पिता स्व० खेदु साव
(3) शंकर साव, पिता स्व० खेदु साव
(4) गोपाल साव पिता स्व० खेदु साव,
प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारी
(i) अजय कुमार एवं
(ii) दीपक कुमार गुप्ता, दोनो पिता–स्व० गोपाल साव
सभी निवासी सभी निवासी एच० बी० रोड, थाना लोअर बाजार, जिला रॉंची
(5) स्व० ब्रज किशोर साहु, पिता श्याम किशोर साहु
द्वारा प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारी
(i) राज किशोर साहु
(ii) बालकृष्णा साहु
(iii) श्रीकान्त साहु
(iv) अरूण कुमार साहु
(v) संजय कुमार साहु
सभी पिता स्व० ब्रज किशोर साहु
सभी निवासी साहु कॉलोनी, जालान रोड, अपर बजार, थाना कोतवाली, जिला रॉंची
(6) गोपाल चन्द साहु, पिता श्याम किशोर साहु
(7) राम कृष्णा साहु, पिता श्याम किशोर साहु
(8) दनी प्रसाद साहु, पिता श्याम किशोर साहु
(9) नारायण प्रसाद साहु पिता श्याम किशोर साहु

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

(10) स्व० प्रताप चन्द्र साहु पिता श्याम किशोर साहु
द्वारा प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारी
(i) सरोज साहु पति स्व० प्रताप चन्द्र साहु
(ii) चन्द्र साहु पिता स्व० प्रताप चन्द्र साहु
(iii) अविनाश साहु पिता स्व० प्रताप चन्द्र साहु
(iv) लोकेश चन्द्र साहु पिता स्व० प्रताप चन्द्र साहु
(v) अर्चना साहु पिता स्व० प्रताप चन्द्र साहु
(vi) अनुभुति साहु पिता स्व० प्रताप चन्द्र साहु
सभी निवासी एच० बी० रोड, थाना लोअर बजार, जिला रॉची

..... उत्तरवादी

(11) सुशील लोहिया पिता स्व० राम गोपाल लोहिया
निवासी ग्राम चडरी, थाना लोवर बाजार, जिला रॉची
(12) सुमन देवी पति स्व० राजेन्द्र कच्छप
(13) आशिष कच्छप पिता स्व० राजेन्द्र कच्छप
दोनो निवासी गोपालगंज, चडरी, थाना कोतवाली, जिला रॉची

..... हस्तक्षेपी

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता ने श्रीमति सीमा सिंह, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 मे पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा आवेदक अजय कच्छप पिता पंचु कच्छप द्वारा उत्तरवादी के खिलाफ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत मौजा चडरी, थाना सं० 199, के खाता सं० 04, प्लॉट सं० 16 रकबा 0.59 एकड़ भूमि के वापसी हेतु दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – उपरोक्त एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 अपीलकर्त्ता के पति स्व० अजय कच्छप द्वारा दायर किया गया था। अपीलकर्त्ता लाली कच्छप को उपरोक्त वाद की जानकारी नही थी। आवेदक अजय कच्छप

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

।देश का क्रम ।ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

की मृत्यु के उपरान्त उन्हे विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नही किया गया था। अपीलकर्त्ता को उपरोक्त वाद के निष्पादन की जानकारी मिलने के उपरान्त अविलम्ब प्रस्तुत अपील दायर किया गया। उपरोक्त प्रर्याप्त कारणो से अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अपील ससमय दायर नहीं किया जा सका। अपीलकर्त्ता द्वारा अपील मे हुए विलंब को क्षांत करने के निमित उनके द्वारा धारा 5 समय क्षांति की नियम के अन्तर्गत आवेदन दायर किया गया है।

मौजा चडरी, थाना सं० 199, के खाता सं० 04, प्लॉट सं० 16 रकबा 0.59 एकड भूमि आर० एस० खतियान मे सुकरा उरॉव पिता एतवा उरॉव एवं चारू उरॉव पिता मोरवा उरॉव के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत चारू उरॉव की नावल्द मृत्यु हो गई तथा अन्य खतियानी रैयत सुकरा उरॉव अपने पीछे एक मात्र पुत्र पंचु उरॉव को छोड़ गये, जो अपने पीछे तीन पुत्र राजेन्द्र कच्छप, संजय कच्छप एवं अजय कच्छप (आवेदक) को छोड़ स्वर्गवास हो गये।

वर्ष 2001–02 मे अपीलकर्त्ता के पति स्व० अजय कच्छप को उपरोक्त भूमि से धोडाधड़ी कर बेदखल कर दिया गया है। तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता के पति अजय कच्छप ने उत्तरवादी के खिलाफ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत मौजा चडरी, थाना सं० 199, के खाता सं० 04, प्लॉट सं० 16 रकबा 0.59 एकड भूमि के वापसी हेतु एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 दायर किया, जिसमे तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी पत्रांक 1300 दिनांक 12.10.2006 द्वारा उपरोक्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु थाना प्रभारी, कोतवाली निदेश दिया। उत्तरवादी द्वारा उपरोक्त एस० ए० आर० वाद के कार्यवाही को निरस्त करने के प्रार्थना के साथ डब्लु० पी० (सी०) सं० 7588/2006 दायर किया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.04.2018 को पारित आदेश द्वारा निष्पादित कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरवादी को उपरोक्त एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 मे उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया, जिसके उपरान्त उत्तरवादी द्वारा उक्त वाद

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	मे कारण पृच्छा दाखिल किया गया। विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से ज्ञात होता है कि आशीष कच्छप, स्वयं को आवेदक/वादी का भतीजा होने का दावा करते हुए विद्वान निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा भूमि पर दावे से संबंधित अपना पक्ष नही रखा गया। वस्तुतः अपीलकर्त्ता किसी आशीष कच्छप को नही जानती है। प्रस्तुत अपील मे भी उनके द्वारा हस्तक्षेप आवेदन दाखिल करने के उपरान्त इस अपील के संचालन मे कोई रूचि नही ली गई । उत्तरवादी ने उनके द्वारा प्रस्तुत हस्तक्षेप आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नही किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे उत्तरवादी द्वारा अभिप्रायपूर्वक एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने के नियति से उक्त वाद मे उपस्थित कराया गया था। अपीलकर्त्ता को विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये बगैर ही एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 को खारिज कर दिया गया, जो विधि द्वारा स्थापित नैसर्गिक सिद्धान्त के विरूद्ध है। विपक्षी का दावा है कि भूतपूर्व जमीदार द्वारा वर्ष 1934 में प्रश्नगत भूमि की प्रकृति छप्परबंदी तबदील करने के बाद खतियानी रैयत सुकरा उरांव ने दिनांक 05.01.1935 को विक्रय पत्र द्वारा खेदू साहु हलवाई वगैरह को हस्तांतरण कर दिया, परन्तु उपरोक्त हस्तांतरण गैर कानूनी तथा अरम्भतः शुन्य (Void Ab initio) है तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत्त वर्जित है। खेदु साहु वैगरह को उपरोक्त भूमि का दखल प्रदान नही किया गया था। वास्तव मे प्रश्नगत भूमि का दखल खतियानी रैयत सुकरा उरॉव के पास ही था, जो आजीवन उस पर दखलकार रहे तथा उनके मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उनके वंशज के दखल कब्जे मे रहा। उत्तरवादी द्वारा फर्जी कागजातों के आधार पर वर्ष 2001–02 मे अपीलकर्त्ता के पति स्व० अजय कच्छप को उपरोक्त भूमि से धोडाधड़ी कर बेदखल कर दिया गया है। विद्वान निम्न न्यायालय ने अपने आदेश मे यह आयोजित किया है कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा कैथी मे लिखित है तथा अपठनीय है, परन्तु उनके द्वारा उसी अपठनीय पट्टे के आधार पर आदेश पारित	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

ादेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

किया है, जो विधि सम्मत नही है।

विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है। आवेदक अजय कच्छप एवं विपक्षी ब्रज किशोर साहु की मृत्यु उक्त वाद मे आदेश पारित करने के काफी पूर्व हो चुका था।

उत्तरवादी सं०–5 जिनकी मृत्यु हो गयी है के उत्तराधिकारियो को पेपर प्रकाशन के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया परन्तु कोई न्यायालय में उपस्थित नही हुए न ही कोई कागजात दाखिल किया। उत्तरवादी सं० 1,2,3,4 (i) एवं 4(ii) तथा 6 से 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –खतियानी रैयत सुकरा उरॉव के अनुरोध पर तत्कालीन जमींदार द्वारा प्रश्नगत भूमि को छप्परबंदी घोषित किया गया तथा तत्पश्चात् खतियानी रैयत सुकरा उरॉव ने निबंधित डीड सं०–54 दिनांक 05.01.1935 द्वारा प्रश्नगत भूमि खेदु साहु हलवाई को हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त डीड का सत्यापन जिला अवर निबंधक, राँची ने पत्रांक– 1082 (ii) दिनांक 25.10.2021 के द्वारा किया गया, जिसमे यह प्रतिवेदित किया गया कि दस्तावेज सं०–54, जिल्द सं०–3 पृष्ट सं० 140 से 145, वर्ष 1935 कार्यालय में निबंधित एवं कार्यालय अभिलेखागार में संधारित है। जिसमें नाम मोकिर सुकरा उरांव बनाम नाम मोकिर अलहे खेदु साहु हलवाई, मौजा– चडरी थाना नं०–199, खेवट नं०–03 खाता नं०–04. प्लॉट नं०–16, रकवा 59 डी० दर्ज है।

उपरोक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत ने दिनांक 05. 01.1935 को निबंधित पट्टा का निष्पादन कर प्रश्नगत भूमि का दखल उत्तरवादी के हित–पूर्वाधिकारी (Predecessor in interest) को सौप दिया। अपीलकर्त्ता ने खतियानी रैयत द्वारा सम्पन्न उपरोक्त संव्यवहार के लगभग 70 वर्षो व्यतीत होने के पश्चात् एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 दायर किया है, जो काल बाधित है।

अंचल अधिकारी, शहर राँची द्वारा पत्रांक–600 (ii) दिनांक– 29. 09.2021 के माध्यम से समर्पित जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पंजी–।।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम व्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

के अनुसार (1) भाग सं० 1/04 मे खाता सं0–04, प्लॉट सं०–16 रकवा 0.18 एकड रैयत पंचु उराँव पिता सुकरा उराँव के नाम से कायम है (2) भाग सं०–3/217 दा०खा० 500/ 587 आर 27/11–12 मे दिनांक 10.05.2011 को पारित आदेश द्वारा खाता सं०–04, प्लॉट सं०–16 रकवा 0.19 एकड़ रैयत नन्द गोपाल प्रसाद, मदन लाल साहु शंकर प्रसाद साहु विनोद साहु चारो के पिता सुरज साहु के नाम से कायम है (3) भाग सं० 3/261 मे दा०खा० वाद स० 7826 आर 27/11–12 द्वारा खाता सं०–04, प्लॉट सं०–16 रकवा 0.22 एकड रैयत नन्द गोपाल प्रसाद, मदन लाल साहु, शंकर प्रसाद साहु, विनोद साहु चारो के पिता सुरज साहु के नाम से कायम है। उपरोक्त क्रमांक सं० 2 एवं 3 के पंजी ।। रैयत के द्वारा प्रस्तुत डीड के अनुसार ये दिनांक–04.02.1935 से मूल्य 1800 रू० में खरीदकर कुल 0.41 ए० भूमि पर मकान, बारी बनाकर निवास करते आ रहे है। वर्तमान में पंजी ।। रैयत ताकि उनके वंशज दखलकार है, शेष भूमि पर सुशील लोहिया दखलकार है। जिसपर मकान बना हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति छप्परबंदी है तथा अपीलकर्त्ता द्वारा दायर उपरोक्त एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 कालबाधित है एवं इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत पोषणीय नही है।

अपने कथन के समर्थन मे उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायादेश का हवाला दिया है:–

(1) CWJC No- 645/1979 (R) (मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार), (2) (1994) (1) पी०एल०जे०आर० पृ० 91 (जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार), (3) 2005 (3) जे०सी०आर०पृ० 132 (लुकस खड़िया बनाम् बड़ाईक बहादुर सिंह) मे माननीय न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है कि – धारा– 71ए० के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos.- 2414-15

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

of 1999 (Situ Sahu & Ors Vrs State of Jharkhand) मे दिनांक– 10.09.2004 को पारित आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार – *Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71 A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65- Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders- Sustainability of Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time- Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act - Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable*

हस्तक्षेपी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – हस्तक्षेपी मौजा चडरी, थाना सं० 199, के खाता सं० 04, प्लॉट सं० 16 रकबा 0.59 एकड मधे रकबा 8 कट्ठा भूमि पर दखलकार है। अपीलकर्त्ता के पति स्व० अजय कच्छप द्वारा उपरोक्त भूमि की वापसी हेतु एस० ए० आर० वाद सं० 81/2010–11 दायर किया था, जिसे वापस लेने हेतु उनके द्वारा आवेदन दाखिल किया था, जो अभी तक लंबित है, अतः प्रस्तुत वाद मे हस्तक्षेपी के दखल मे उपरोक्त भूमि मधे 8 कट्ठा भूमि के संबंध मे कोई आदेश पारित ना किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के अन्तर्गत जमीन वापसी का वाद दायर किया है तथा उनके अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा छल प्रपंच कर उनकी उपरोक्त भूमि हड़प ली गई है। खतियान की प्रविष्टि से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अर्थात मौजा चडरी थाना नं०–199, खेवट नं०–03 खाता नं०–04, प्लॉट नं०–16, रकवा 59 डी० आदिवासी खाते की भूमि है। परन्तु जिला अवर निबंधक, राँची द्वारा पत्रांक– 1082 (ii) दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से अग्रसारित प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि सुकरा उरांव द्वारा उपरोक्त मौजा– चडरी थाना नं०–199, खेवट नं०–03 खाता नं०–04, प्लॉट नं०–16, रकवा 59 डी० भूमि का हस्तांतरण दस्तावेज सं०–54,

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

जिल्द सं०–3 पृष्ट सं० 140 से 145, वर्ष 1935 द्वारा खेदु साहु हलवाई के पक्ष मे किया गया है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का अंतरण वर्ष 1935 मे हुआ था, परन्तु आवेदक के द्वारा लगभग 70 वर्षों के उपरान्त एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 दायर किया गया है, जो कालबधित है।

अतः यह अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है तथा श्रीमति सीमा सिंह, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा एस० ए० आर० वाद सं० 268/2005–06 मे पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.28 08:55:38 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2c39:30b9:62dc:fc76